न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 33/2020

सरकार बनाम दलीप पुत्र दोदराम, जाति– जाट,
निवासी– स्वामी सेही

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 13.08.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल दलीप पुत्र दोदराम, जाति--जाट, निवासी–स्वामी सेही द्वारा रोही मौजा स्वामी सेही की भूमि ख.नं. 347 के कुल रकबा 39.07 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.20 है0 भूमि पर तारबंदी कर बाजरा बीजकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से जवाब नोटिस पेश किया जिसमें जोहड़ की भूमि पर अपना अतिक्रमण हटा लिया होना बताया है अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है अन्य कोई साक्ष्य/ सबूत पेश नही किया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 75 रू. कायम किया जाता है। राजकीय भूमि में बोई गई फसल को राजहक में कुर्की जब्ती एवं नियमानुसार निलामी करने की आज्ञा दी जाती है। इस बाबत गिरदावर हल्का को लिखा जावें।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 18 पर
वर्ष 2020-21 में रुपये 75/- कायम कि।
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़